राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" ए ब्लॉक, जनपथ, जयपुर–302006

क्रमांकः– एफ.4(ई)के–1725/2013/अलेसे–ाा/7984 दिनांकः– 31-07-19

कोषाधिकारी,
बाडमेर, राजस्थान।

विषयः– कनिष्ठ लेखाकार श्री किरोडी लाल मीणा के सेवा रिकार्ड में नियुक्ति तिथि में संशोधन करने बाबत्।,
प्रसंगः– आपका पत्रांक 1484 दिनांक 06.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार श्री किरोडी लाल मीणा को निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(ई)1(6)अलेसे–ाा/352 दिनांक 30.06.2017 आदेश संख्या 66/2017–18 के द्वारा PMO-20346, MEDICAL AND HEALTH, BARMER में नियुक्ति दी गई थी। उक्त आदेश की अनुपालना में इनके पूर्व कार्यालय कमाण्डेण्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर द्वारा श्री मीणा (पूर्व कॉनस्टेबल) को दिनांक 12.07.2017 को मध्यान्ह् पश्चात प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, बाडमेर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। परन्तु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, बाडमेर में कनि. लेखाकार का पद रिक्त ना होने के कारण श्री मीणा को दिनांक 13.07.2017 को निदेशालय में उपस्थिति हेतु निर्देश दिये गए इसकी अनुपालना में श्री मीणा द्वारा दिनांक 14.07.2017 को निदेशालय में उपस्थिति दी गई तदोपरान्त निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.4(ई)1(6)अलेसे–ाा/434 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा श्री मीणा को TREASURY OFFICER-1095, TREASURY AND ACCOUNTS, BARMER में पदस्थापन किया गया। जिसकी अनुपालना में श्री मीणा द्वारा दिनांक 17.07.2017 को मध्यान्ह् पूर्व कोष कार्यालय बाडमेर कार्यग्रहण किया गया तथा इन्हें दिनांक 13.07.2017 से 16.07.2017 तक आदेश की प्रतिक्षा में रहने का भुगतान कोष कार्यालय बाडमेर से करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः इनकी कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 13.07.2017 माध्यन्ह पूर्व मानी जावे।

इसका अनुमोदन निदेशक महोदय के स्तर पर किया जा चुका है।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ाा)

क्रमांकः– एफ.4(ई)के–1725/2013/अलेसे–ाा/7984 दिनांकः– 31-07-19
प्रतिलिपिः–

1. श्री किरोडी लाल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कोष कार्यालय, बाड़मेर को सूचनार्थ।
2. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ाा)